रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2622] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 12, 2017/भाद्र 21, 1939
No. 2622] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 12, 2017/BHADRA 21, 1939

indiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2017

का.आ. 2996(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2114 (अ), तारीख 15 जून, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त अधिसूचना के राजपत्र, की प्रतियां जनता को तारीख 15 जून, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

और, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली में अवस्थित असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य 19.57 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और 28^0 23'00'' उ. से 28^0 30'00'' उ. अक्षांश तथा 77^{0}11 "00'' पू. से 77^{0}17' 00'' पू. देशांतर के बीच अवस्थित है।

और, असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिण-पश्चिमी दिशाओं में हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करता है और यह अधिसूचना राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन को अधिसूचित करने के लिए है;

और, यह अभयारण्य प्रचुर वनस्पति और जीवजन्तु जैविक महत्व का प्रतिनिधित्व करता है। जीवजन्तु विविधता में स्तनधारियों की 17 प्रजातियां, आवासी और प्रवासी पक्षियों की लगभग 201 प्रजातियां, सरीसृपों की 12 प्रजातियां, उभयचरों की 5 प्रजातियां, तितलियों की 63 प्रजातियां और व्याघ्र पतंगों की 05 प्रजातियां का प्रतिनिधित्व है और संरक्षित क्षेत्र में मुख्य प्रजातियां जैसे नीलगाय *(बोसलाफुस टरागोकमेलुस)*, बनबिलाव(*फेलिस चाउस*), छोटा भारतीय मुसंग(*वीवेर्रिकुला इंडिका*), नेवला(*हेरपेसटेस अयरोपुन्कटाटुस*), सियार(*कनिस अयरेउस*), भारतीय साही(*हायस्ट्रीक्स इंडिका),* पांच नग्न गिलहरी *(फुनामबुलुस पेन्नाटी),* चीतल(*अकीनोंयक्स जुबाटुस)* आदि प्रजातियां पाई जाती हैं;

और, पूर्वोक्त अभयारण्य में वनस्पति की देशी और विदेशी की मिश्रित प्रजातियां हैं और यह वृक्षों की लगभग 83 प्रजातियां, झाड़ियों की लगभग 30 प्रजातियां, जड़ी-बूटियों की लगभग 95 प्रजातियां, घासों की लगभग 18 प्रजातियां और नरकट की लगभग 4 प्रजातियों के वास स्थान के लिए जानी जाती है; मूल वनस्पतियों में अकैशिया की विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं जैसे *अकैशिया नीलोटिका, अकैशिया*

ल्यूकोफ्लोएआ, अकैशिया कटेचु, अकैशिया सेनेगल, अकैशिया मोडेसटा, बुटिया मोनोस्पर्म, कैसिया फ़िट्टुला, सल्वादोरो प्रिसा और कुछ छोटे गोलाश्म वाली छोटी-छोटी पहाड़ियों में *अनोएजेसस पेंडुला* के कुछ बिखरे हुए वृक्ष भी पाए जाते हैं; इस क्षेत्र में पाए गए कुछ अन्य वृक्षों में *दल्बर्गिया सीसोओ, फिकुस रेलीगिओस, मोरस इंडिका, अजादिराछा इंडिका, पोंगामिया पीन्नाटा* आदि शामिल हैं;

और, असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों और उद्योगों के वर्गो और उनके प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली में असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र को असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं, अर्थात् :--

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं-(1) असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 1 किलोमीटर तक के विस्तार के साथ 15.55 वर्ग किलोमीटर का होगा और असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य सीमाओं का वर्णन और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के निर्देशांकों को **उपाबंध** I में दिया गया है।

(2) सीमा के ब्यौरे तथा अक्षांश और देशान्तर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र **उपाबंध** II के रूप में उपाबद्ध हैं।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध** III के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य सरकार के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संबंधी बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन;

(iii) शहरी विकास;

(iv) पर्यटन;

(v) नगरपालिक;

(vi) राजस्व;

(vii) कृषि ;

(viii) दिल्ली राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(ix) सिंचाई;

(x) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन तब तक अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूमिगत जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी और इस योजना के मानचित्रों के साथ विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरे संलग्न होंगे।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिकी अनुकूल विकास सुनिश्चित करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के द्वारा मानीटरी के अपने कृत्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग –**पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि और अन्य भूमियों का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है तथा निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए है जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक हो, ग्रह वास हो; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप पैरा 4 में दिए गए है:

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के उपबंधों के अनुपालन के बिना, वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के अभिगत प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक की जाएगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि को ठीक करने में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक झरने** – आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक झरनों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों में या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे।

(ख) पर्यटन महायोजना को राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से तैयार किया जाएगा।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगा।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इसमें जो भी निकट हो, होटलों और रिसोर्ट के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे और वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की

IndiaCode

दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटल और रिसोर्टों की स्थापन को पूर्व परिभाषित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी शिक्षा और पारिस्थितिकी विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया किया जाएगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों तथा उपक्षेत्रों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर विरासत संरक्षण की योजना तैयार की जाएगी तथा ऐसी योजना आंचलिक महायोजना में समाविष्ट की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण --** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का ध्वनि पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, और उसमें किए गए संशोधनों के अधीन प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण --** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण --** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के अन्तर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट –** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा--

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा ;

(v) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) **यानीय परिवहन: -** परिवहन यानीय संचलन आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय संचलन के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(12) **यानीय प्रदूषण:-** यानीय प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार की जाएगी और स्वच्छक ईंधन उदाहरण के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस, आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

(13) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(15) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाय किन्ही नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, प्रदूषण कारित करने वाले कोई नए उद्योग स्थापित करने की अनुज्ञा नहीं होगी।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को वहां उपदर्शित करेगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या कटाव के एक उच्च डिग्री वाले ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) नए खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का विनिर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय प्रतिषिद्ध होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसार की जाएंगी ।
2.	आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग या उसके विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) वर्गीकरण में हरित या श्वेत कृषि के रूप वर्गीकृत उद्योगों को जिनके अंन्तर्गत कृषि आधारित लघु उद्योग भी है विनियमों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे।

5.	नई मुख्य तापीय और जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	फर्मों, कंपनियों आदि द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों के निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
9.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल की स्थापना और ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए सामान्य जलाए जाने की सुविधा।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान का कोई नया ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और अपशिष्ट उपचारित/प्रसंस्करण सुविधा अनुज्ञात नहीं होगी और औद्योगिक प्रक्रिया तथा स्वास्थ्य स्थापन आदि से उत्पन्न किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत जलावतरण की सुविधा का संस्थापन प्रतिषिद्ध होगा।
	विनियमित क्रियाकलाप	
10.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी लघु अस्थायी संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे, अन्यथा नहीं। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर से परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना तथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी। (ख) ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ग) एक किलोमीटर से आगे यह आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे।
12.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि उद्यान, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से बने उत्पादों का उत्पादन करते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए, पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल कुटीर जैसे टेन्ट, काष्ठ गृह आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

14.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कोई कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
15.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी)।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
16.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य अवसंरचानाएं।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। (भूमिगत केबल को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।
17.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	न्यूनीकरण के उपायों के साथ, लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाएंगे।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण के उपायों के साथ, लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाएंगे।
19.	अन्य गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
21.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
22.	स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, डेयरीकृषि, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
24.	सतही और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	खुले कुआं, बोर कुआं, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग।	विनियमित और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जाएगी।
26.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
29.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
30.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	निम्नीकृत भूमि या वन या वास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	जल संरक्षण उपाय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

India Code

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i)	मुख्य वन्यजीव वार्डन, वन और वन्यजीव विभाग, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार	- अध्यक्ष;
(ii)	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिकी और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	– सदस्य;
(iii)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	– सदस्य;
(iv)	दिल्ली, प्रदूषण नियंत्रण समिति का प्रतिनिधि	– सदस्य;
(v)	राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य	– सदस्य;
(vi)	उप वन संरक्षक (दक्षिण), वन और वन्यजीव विभाग, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार	– सदस्य सचिव।

6. निर्देश निबंधन (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) इस अधिसूचना में मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(3) भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर संबद्ध पार्क उपवन संरक्षक का ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध IV** में संलग्न रूप विधान के अनुसार उस वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए होंगे।

[फा. सं. 25/196/2015-ईएसजेड/आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

1. **भू-निर्देशांकों के साथ असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का वर्णन**

आई डी	अक्षांश	देशांतर
1.	28°24'54.184" उ	77°11'24.590"पू
2.	28°25'5.081" उ	77°11'25.700"पू
3.	28°24'43.731" उ	77°11'35.786"पू
4.	28°25'38.765" उ	77°13'35.267"पू
5.	28°26'8.130" उ	77°13'33.637"पू
6.	28°25'32.701" उ	77°13'26.335"पू
7.	28°26'27.328" उ	77°13'7.012 " पू
8.	28°29'25.475" उ	77°11'36.861"पू
9.	28°29'44.864" उ	77°11'44.864"पू
10.	28°29'54.109" उ	77°15'12.762"पू
11.	28°24'35.220" उ	77°12'33.916"पू
12.	28°24'30.685" उ	77°11'56.703"पू
13.	28°24'25.334" उ	77°10'37.736"पू
14.	28°24'24.846" उ	77°10'18.539"पू
15.	28°24'58.337" उ	77°09'54.346"पू
16.	28°25'44.976" उ	77°09'42.783"पू
17.	28°25'46.300" उ	77°10'23.248"पू
18.	28°25'53.061" उ	77°12'19.850"पू
19.	28°26'21.060" उ	77°12'20.344"पू
20.	28°26'32.212" उ	77°12'45.691"पू
21.	28°27'3.152" उ	77°13'14.179"पू
22.	28°27'28.721" उ	77°12'21.847"पू
23.	28°28'50.633" उ	77°12'10.975"पू
24.	28°29'34.359" उ	77°11'35.268"पू
25.	28°29'23.485" उ	77°12'40.109"पू
26.	28°29'20.946" उ	77°13'19.080"पू
27.	28°29'19.352" उ	77°13'55.770"पू
28.	28°29'32.579" उ	77°14'16.189"पू
29.	28°29'22.606" उ	77°14'44.761"पू
30.	28°29'12.158" उ	77°16'8.562"पू

IndiaCode

31.	28°28'55.525" उ	77°15'8.897"पू
32.	28°28'54.266" उ	77°14'56.674"पू
33.	28°27'13.352" उ	77°14'16.155"पू
34.	28°27'3.120" उ	77°14'36.943"पू
35.	28°26'44.798" उ	77°14'58.548"पू
36.	28°25'48.496" उ	77°15'8.046"पू

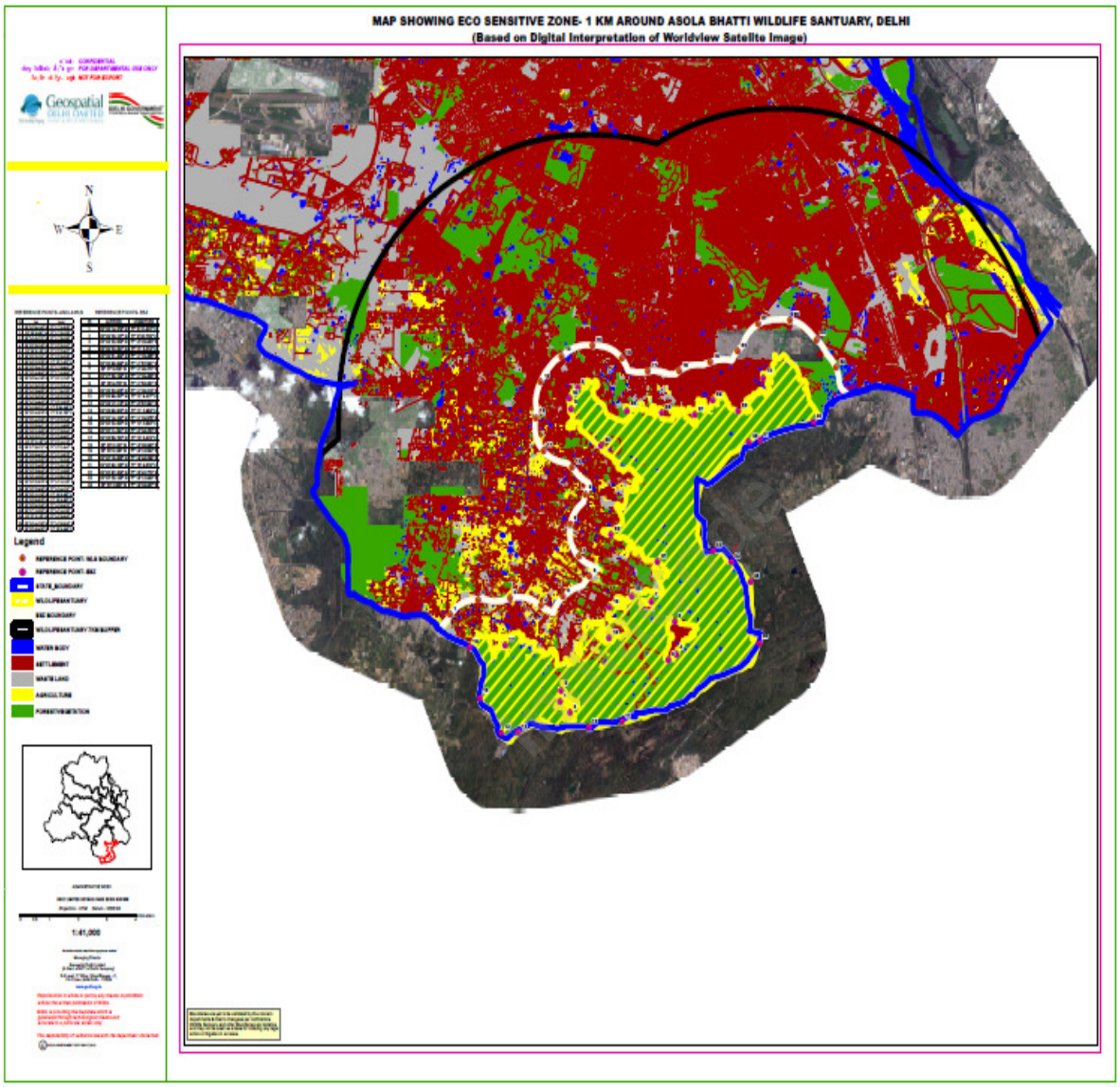
2. **भू-निर्देशांकों के साथ असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन**

आई डी	अक्षांश	देशांतर
1.	28°26'14.374" उ	77°9'21.602"पू
2.	28°26'29.137" उ	77°9'52.708"पू
3.	28°26'29.909" उ	77°10'28.680"पू
4.	28°26'23.091" उ	77°11'3.318"पू
5.	28°26'31.459" उ	77°11'28.485"पू
6.	28°26'49.684" उ	77°11'57.991"पू
7.	28°27'8.026" उ	77°11'46.272"पू
8.	28°27'38.186" उ	77°11'36.488"पू
9.	28°28'6.279" उ	77°11'53.381"पू
10.	28°28'30.625" उ	77°11'38.319"पू
11.	28°28'46.087" उ	77°11'6.227"पू
12.	28°29'17.115" उ	77°10'57.891"पू
13.	28°29'49.903" उ	77°11'2.969"पू
14.	28°30'14.183" उ	77°11'26.575"पू
15.	28°30'23.530" उ	77°12'0.890"पू
16.	28°30'11.591" उ	77°12'34.250"पू
17.	28°29'59.750" उ	77°13'3.415"पू
18.	28°30'0.133" उ	77°13'38.540"पू
19.	28°30'8.198" उ	77°14'13.562"पू
20.	28°30'18.655" उ	77°14'44.046"पू
21.	28°30'43.185" उ	77°15'6.876"पू
22.	28°30'47.304" उ	77°15'42.773"पू
23.	28°30'29.148" उ	77°16'12.663"पू
24.	28°30'2.959" उ	77°16'34.687"पू

IndianCode

उपाबंध-II

भू- निर्देशांकों के साथ असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध -III

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	अक्षांश	देशांतर
1.	असोला	28 26'34.311"उ	77 13'8.718"पू
		28 26'53.776"उ	77 12'13.910"पू
		28 27'20.910"उ	77 11'38.499"पू
		28 26'56.166"उ	77 12'55.083"पू
2.	साहुरपुर	28 27'35.663"उ	77 12'13.664"पू
		28 27'41.570"उ	77 13'3.098"पू
		28 27'50.010"उ	77 12'26.283"पू
		28 27'23.845"उ	77 12'43.011"पू
3.	सतबरी	28^{0}27'51''उ	77^{0}12'53'' पू
		28^{0}28'12''उ	77^{0}12'0'' पू
4.	मैदान गढ़ी	28 28'53.606"उ	77 13'20.519"पू
		28 28'54.045"उ	77 12'55.731"पू
		28 29'0.966"उ	77 12'19.817"पू
		28 29'26.500"उ	77 12'57.194"पू
5.	तुगलकाबाद	28 30'15.454"उ	77 15'35.514"पू
		28 29'17.408"उ	77 16'19.757"पू
		28 28'49.951"उ	77 14'56.175"पू
		28 29'21.756"उ	77 14'54.317"पू
6.	देवली	28^0 29''27.7"उ	77^{0}12'57''पू
		28^0 28''54.4"उ	77^{0}13'22.5''पू
7.	भट्टी	28 25'20.285"उ	77 12'15.992"पू
		28 25'19.788"उ	77 11'39.259"पू
		28 25'52.459"उ	77 12'34.091"पू
		28 26'4.663"उ	77 11'53.371"पू

उपाबंध IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2017

S.O. 2996(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2114, dated the 15th June 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS,, copies of the Gazette containing the said Draft notification were made available to the public on the dated the 15th June 2016

AND WHEREAS, objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

AND WHEREAS, the Asola Bhatti Wildlife Sanctuary located in the National Capital Territory of Delhi is spread over an area of 19.57 square kilometers and sSanctuary is located between 28^0 23'00'' N to 28^0 30'00'' N latitude and 77^o 11 '00'' E to 77^o 17' 00'' E longitudes;

AND WHEREAS, the Asola Bhatti Wildlife Sanctuary shares its boundary with the State of Haryana in Eastern, Southern and South-Western directions and this notification is for notifying the Eco-sensitive Zone around the Asola Bhatti Wildlife Sanctuary of National Capital Territory of Delhi;

AND WHEREAS, the flora and fauna represent rich biological significance of this Sanctuary and the faunal diversity is represented by 17 species of mammals, around 201 species of resident and migratory birds, 12 species of reptiles, 5 species of amphibians, 63 species of butterflies and 05 species of dragonflies, and important species found in the protected area are Nilgai (Boselaphus *tragocamelus*), Jungle cat (Felis *chaus*), small Indian Civet (Viverricula *indica)*, Mongoose (Herpestes *auropunctatus)*, Jackal (Canis *aureus)*, Indian porcupine (Hystrix *indica*), five striped palm squirrel (Funambulus *pennantii*), Cheetal (Acinonyx *jubatus)* etc;

AND WHEREAS, the ofoersaid sanctuary consists of a mixture of indigenous and exotic species of Flora and is known to harbor around 83 species of trees, around 30 species of shrubs, around 95 species of herbs, around 18 species of grasses and around 4 species of sedges**;**The native flora includes various species of *Acacia such as Acacia nilotica, Acacia leucophloea, Acacia catechu, Acacia senegal, Acacia modesta*, *Butea monosperma, Cassia fistula, Salvadora persica* and in the small boulder hillocks a few scattered trees of *Anogeissus pendula* are also found**;** some other trees found in the area include *Dalbergia sissoo, Ficus religiosa, Morus indica, Azadirachta indica, Pongamia pinnata* etc**;**

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification, around the protected area of Asola Bhatti Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent upto one kilometer from the boundary of the Asola Bhatti Wildlife Sanctuary in the National Capital Territory of Delhi as the Asola Bhatti Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-** (1) The Eco-sensitive Zone shall be of 15.55 square kilometers with an extent upto one kilometer from the Asola Bhatti Wildlife Sanctuary. And the description of the Ashola Bhatti Wildlife Sanctuary and eco-sensitive Zone with Geo- Coordinates is given in **Annexure-I.**

(2) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-II.**

(3) List of villages falling in the in Eco-sensitive Zone in given at **Annexure-III.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for consideration and approval of the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;

(viii) Delhi State Pollution Control Committee;

(ix) Irrigation;

(x) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps and the Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be reference documents for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring *vide* the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial activities;

Provided that the conversion of agricultural and other lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given in paragraph 4

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural springs.-** The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** The activity relating to tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) no new construction of hotels and resorts shall be permitted within one kilometer km from the boundary of the Ashola Bhatti Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer and beyond the distance of one kilometer from the boundary of the said Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of Eco-sensitive Zone;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan for their preservation and conservation shall be drawn up within six months from the date of publication of this notification in the official Gazette and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification in the official Gazette and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution: Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) Air pollution: Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) Discharge of effluents: Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(v) no burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Vehicular pollution.**-Prevention and control of vehicular pollution shall be carried out in accordance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuel for example CNG, etc.

(13) **Plastic waste management.-** The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(14) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(15) E-waste.- The e- waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(16) **Industrial units.-** (a) No establishment of new wood based industries within the Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

(17) **Protection of hill slopes.-** The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. **Prohibited, Regulated and Promoted Activities.-**All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and shall be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) new mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	(a) No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. (b) Industries categorised as Green or White in the Central Pollution Control Board classification including agro-based small scale industries shall be regulated as per the applicable regulations.
5.	Establishment of new major thermal and hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, companies,etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	No new solid waste disposal site and waste treatment or processing facility of solid waste shall be permitted within Eco -sensitive zone and installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment, hospitals, etc. shall be prohibited.
	Regulated activities	
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub -paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities.	Regulated under applicable laws.

India Code

14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.
15.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures .	Regulated under applicable law (underground cabling may be promoted).
17.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-Sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks .	Regulated under applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
23.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated effluent shall be regulated as per applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water	Regulated under applicable law.
25.	open well, bore well etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable law. and the activity shall be monitored by the concerned authority.
26.	Solid waste management.	Regulated under applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
28.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
29.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
Promoted activities		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Skill development.	Shall be actively promoted.
36.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
37.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.
38.	Water conservation measures.	Shall be actively promoted.

India Code

5. Monitoring Committee.- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, comprise of the following, namely:-

(i)	Chief Wildlife Warden, Department of forests and Wildlife, Delhi, Government of National Capital Territory of Delhi	-Chairman;
(ii)	An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of National Capital Territory (National Capital Territory) of Delhi for a period of three year	-Member;
(iii)	One representatives of Non-Governmental Organisation (Working in the field of environment including heritage Conservation) to be nominated by the Government of National Capital Territory of Delhi for a period of three year	-Member;
(iv)	Representative of Delhi Pollution Control Committee	-Member;
(V)	Member State Biodiversity Board	-Member;
(vi)	Dy. Conservator of Forests (South), Department of Forests and Wildlife, Government of National Capital Territory of Delhi.	-Member Secretary.

6. Terms of reference .-(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) Tenure of the Monitoring Committee shall be for three years.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on site-specific conditions and referred to concerned Regulatory Authority.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at Annexure IV.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court the or National Green Tribunal.

[F. No. 25/196/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

1. Boundary Description of Asola Bhatti Wildlife Sanctuary with Geo-co-ordinates

ID	Latitude	Longitude
1	28°24'54.184" N	77°11'24.590"E
2	28°25'5.081" N	77°11'25.700"E
3	28°24'43.731" N	77°11'35.786"E
4	28°25'38.765" N	77°13'35.267"E
5	28°26'8.130" N	77°13'33.637"E
6	28°25'32.701" N	77°13'26.335"E
7	28°26'27.328" N	77°13'7.012 " E
8	28°29'25.475" N	77°11'36.861"E
9	28°29'44.864" N	77°11'44.864"E
10	28°29'54.109" N	77°15'12.762"E
11	28°24'35.220" N	77°12'33.916"E
12	28°24'30.685" N	77°11'56.703"E
13	28°24'25.334" N	77°10'37.736"E
14	28°24'24.846" N	77°10'18.539"E
15	28°24'58.337" N	77°09'54.346"E
16	28°25'44.976" N	77°09'42.783"E
17	28°25'46.300" N	77°10'23.248"E
18	28°25'53.061" N	77°12'19.850"E
19	28°26'21.060" N	77°12'20.344"E
20	28°26'32.212" N	77°12'45.691"E
21	28°27'3.152" N	77°13'14.179"E
22	28°27'28.721" N	77°12'21.847"E
23	28°28'50.633" N	77°12'10.975"E
24	28°29'34.359" N	77°11'35.268"E
25	28°29'23.485" N	77°12'40.109"E
26	28°29'20.946" N	77°13'19.080"E
27	28°29'19.352" N	77°13'55.770"E
28	28°29'32.579" N	77°14'16.189"E
29	28°29'22.606" N	77°14'44.761"E
30	28°29'12.158" N	77°16'8.562"E
31	28°28'55.525" N	77°15'8.897"E
32	28°28'54.266" N	77°14'56.674"E
33	28°27'13.352" N	77°14'16.155"E
34	28°27'3.120" N	77°14'36.943"E
35	28°26'44.798" N	77°14'58.548"E
36	28°25'48.496" N	77°15'8.046"E

IndiaCode

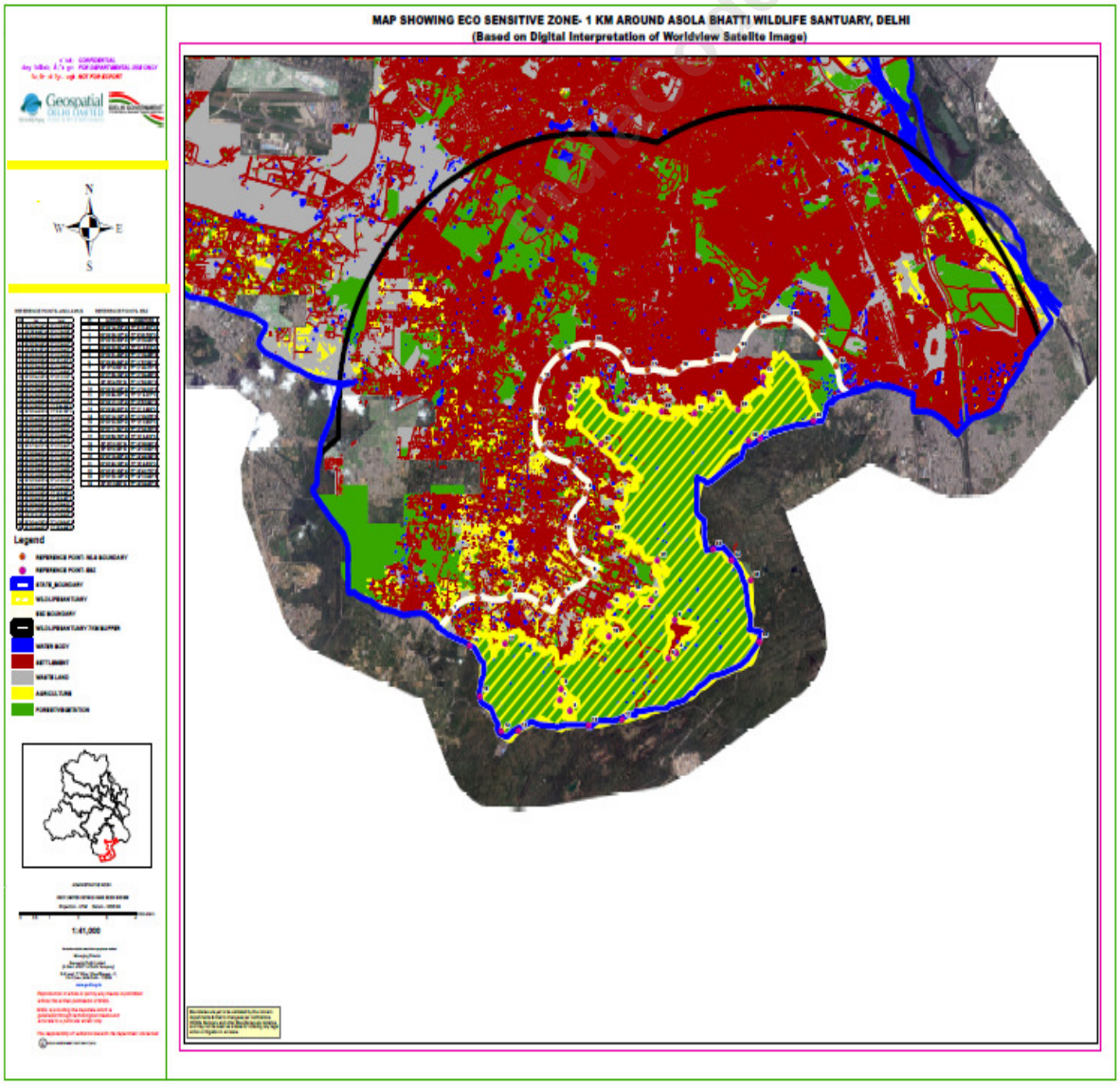
2. Boundary description of the Eco-sensitive Zone of Asola Bhatti Wildlife Sanctuary with Geo-co-ordinates

ID	Latitude	Longitude
1	28°26'14.374" N	77°9'21.602"E
2	28°26'29.137" N	77°9'52.708"E
3	28°26'29.909" N	77°10'28.680"E
4	28°26'23.091" N	77°11'3.318"E
5	28°26'31.459" N	77°11'28.485"E
6	28°26'49.684" N	77°11'57.991"E
7	28°27'8.026" N	77°11'46.272"E
8	28°27'38.186" N	77°11'36.488"E
9	28°28'6.279" N	77°11'53.381"E

10	28°28'30.625" N	77°11'38.319"E
11	28°28'46.087" N	77°11'6.227"E
12	28°29'17.115" N	77°10'57.891"E
13	28°29'49.903" N	77°11'2.969"E
14	28°30'14.183" N	77°11'26.575"E
15	28°30'23.530" N	77°12'0.890"E
16	28°30'11.591" N	77°12'34.250"E
17	28°29'59.750" N	77°13'3.415"E
18	28°30'0.133" N	77°13'38.540"E
19	28°30'8.198" N	77°14'13.562"E
20	28°30'18.655" N	77°14'44.046"E
21	28°30'43.185" N	77°15'6.876"E
22	28°30'47.304" N	77°15'42.773"E
23	28°30'29.148" N	77°16'12.663"E
24	28°30'2.959" N	77°16'34.687"E

ANNEXURE-II

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF ASOLA BHATTI WILDLIFE SANCTUARY WITH CO-ORDINATES



Annexure-III

List of villages falling in Eco –sensitive Zone

S.No.	Name of village	Latitude	Longitude
1.	Asola	28 26’34.311”N	77 13’8.718”E
		28 26’53.776”N	77 12’13.910”E
		28 27’20.910”N	77 11’38.499”E
		28 26’56.166”N	77 12’55.083”E
2.	Sahurpur	28 27’35.663”N	77 12’13.664”E
		28 27’41.570”N	77 13’3.098”E
		28 27’50.010”N	77 12’26.283”E
		28 27’23.845”N	77 12’43.011”E
3.	Satbari	$28^0$27’51’’N	$77^0$12’53’’ E
		$28^0$28’12’’N	$77^0$12’0’’ E
4.	Maidan Garhi	28 28’53.606”N	77 13’20.519”E
		28 28’54.045”N	77 12’55.731”E
		28 29’0.966”N	77 12’19.817”E
		28 29’26.500”N	77 12’57.194”E
5.	Tughlaqabad	28 30’15.454”N	77 15’35.514”E
		28 29’17.408”N	77 16’19.757”E
		28 28’49.951”N	77 14’56.175”E
		28 29’21.756”N	77 14’54.317”E
6.	Deoli	28^0 29’’27.7”N	$77^0$12’57’’E
		28^0 28’’54.4”N	$77^0$13’22.5’’E
7.	Bhatti	28 25’20.285”N	77 12’15.992”E
		28 25’19.788”N	77 11’39.259”E
		28 25’52.459”N	77 12’34.091”E
		28 26’4.663”N	77 11’53.371”E

IndiaCode

ANNEXURE-IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record: Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006:Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006:Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.09.13 18:55:54 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.